

(2)

आलय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

20/01/17 पन्नावली पैगाड़ी व कुलाप फरीकेत
उप०। उपपक्ष की बहस सुनी जाकर
पन्नावली के खलेकत उपरान्त इस
निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रार्थना पत्र
अस्यै निषेधाज्ञा रवारिज किन्तु जाता
है। विस्तृत निर्णय प्रचक्र से लिखा-
जाकर शामिल मिसल है। पन्नावली
फैसल सुपुर् होकर नम्ब्रा से कर की जाकर
दारिबल दफ्तर की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन